

संचिका संख्या-5/निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन) 27-01/2023 - 1012

बिहार सरकार

21.02.2024

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

21 फरवरी, 2024

विषय:- "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के इतर संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित पदों एवं निर्धारित दर के अनुसार अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार एवं मार्गदर्शन की स्वेच्छानुसार अग्रतर तैयारी हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान करने एवं कुल ₹9,20,75,000/- (नौ करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार रूपया) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0-1140, दिनांक-10.05.2018 में निहित प्रावधानों के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत क्रमशः एक लाख रूपया मात्र एवं पचास हजार रूपया मात्र एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ एक बार दिये जाने का प्रावधान है।

(परिशिष्ट-2)

2. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राएँ/अभ्यर्थी सिविल सेवा के इतर समूह-1 के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा, यथा- भारतीय अभियंत्रण सेवा परीक्षा (Indian Engineering Service Examination), भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा (Indian Economic Service Examination), भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा (Indian Statistical Service Examination), संयुक्त भू-वैज्ञानिक, संयुक्त रक्षा सेवा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)(Dy.S.P.), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) उत्तीर्ण, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित बिहार न्यायिक सेवा एवं अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संबंधित राज्य की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ग्रेड-बी की प्रारंभिक परीक्षा/भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा/भारतीय जीवन बीमा

निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं, एवं उत्तीर्ण होते हैं, किन्तु आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से पर्याप्त मार्गदर्शन (ऑफलाइन तथा ऑनलाईन) एवं उपयोगी पुस्तकें इत्यादि का क्रय करने में सक्षम नहीं होने के कारण मुख्य परीक्षा की तैयारी उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के इतर संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित पदों एवं तत्संबंधी निर्धारित दर के अनुसार अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार एवं मार्गदर्शन की स्वेच्छानुसार अग्रोत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान करने एवं ₹9,20,75,000/- (नौ करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार रुपया) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4. योजना के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश एवं संक्षिप्त टिप्पणी :-

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में नियमावली, अहर्ता/प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नवत् होंगी:-

- I. अभ्यर्थी इस योजना से संबंधित परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से मार्गदर्शन (ऑफलाइन/ऑनलाईन) के रूप में अग्रोत्तर तैयारी हेतु प्राप्त प्रोत्साहन राशि का उपयोग स्वेच्छानुसार कर सकेंगे।
- II. अभ्यर्थी को इस योजना से संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- III. अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत होना चाहिए।
- IV. अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन वित्त सम्पोजित किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम (बोर्ड/निगम) में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए।
- V. किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार दिया जायेगा।
- VI. कंडिका-V में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त, यदि कोई भी अभ्यर्थी परिशिष्ट-1 में उल्लेखित परीक्षाओं के लिए लाभ लेने के उपरान्त संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होता है तो उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

- 12
- VII. आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के लिए एक बार अंतर राशि देय होगा, मात्र इस हद तक कडिका-5 शिथिल रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी, जिसमें विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पोर्टल पर निबंधन कर ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा। अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई-मेल आईडी0 भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उनके ई-मेल आईडी0 पर दी जायेगी।
- VIII. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ इस आशय का First Class Judicial Magistrate अथवा Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ-पत्र की Scanned प्रति पोर्टल पर समर्पित करना होगा कि वे किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/ बोर्ड-निगम/केन्द्र या राज्य सरकार, द्वारा वित्त सम्पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं है तथा उनके द्वारा इस विभाग या अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के अन्तर्गत अन्तर राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त शपथ-पत्र में उल्लेख करना होगा कि यह आवेदन अंतर राशि प्राप्त करने के लिए है तथा पूर्व में जिस परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है उसका पूर्ण विवरण अंकित करना होगा।
- IX. ऑनलाईन निबंधन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, संबंधित परीक्षा का प्रवेश-पत्र एवं संबंधित परीक्षा परिणाम (वेब पोर्टल पर प्रकाशित या अन्य, जिसमें अभ्यर्थी का अनुक्रमांक अंकित हो) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र एवं स्वयं के नाम का सक्रिय बैंक खाता का पासबुक या हस्ताक्षरित रद्द किया हुआ चेक, सभी की Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- X. ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करनी होंगी, इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। गलत सूचना देकर इस योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

5. **बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता :-**

इस योजना के लिए व्यय राज्य स्कीम के मांग स0-44 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जाति

का कल्याण, लघुशीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष-0107-शिक्षा, विषय शीर्ष-0107-3401- छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-44-2225012770107, तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजाति का कल्याण, लघुशीर्ष- 277- शिक्षा, उपशीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-0101-3401 विपत्र कोड-44-2225022770101 के अंतर्गत विकलनीय होगा।


आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(दिवंश सेहरा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-सं० सं०-5/निदे०(सिविल सेवा प्रोत्साहन) 27-01/2023/6/2 पटना, दिनांक-21-2-24  
प्रतिलिपि:-हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

  
(दिवंश सेहरा)


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-सं० सं०-5/निदे०(सिविल सेवा प्रोत्साहन) 27-01/2023/6/2 पटना, दिनांक-21-2-24  
प्रतिलिपि:-हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(दिवंश सेहरा)


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-सं० सं०-5/निदे०(सिविल सेवा प्रोत्साहन) 27-01/2023/6/2 पटना, दिनांक-21-2-24  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


  
(दिवंश सेहरा)

सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-सं० सं०-5/निदे०(सिविल सेवा प्रोत्साहन) 27-01/2023-10/12 पटना, दिनांक-21-2-24  
प्रतिलिपि:-सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-सं० सं०-5/निदे०(सिविल सेवा प्रोत्साहन) 27-01/2023-10/12 पटना, दिनांक-21-2-24  
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित विभाग के  
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित  
जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास  
आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी  
जिला कल्याण पदाधिकारी/वरीय तकम्भीकी निदेशक, एन०आई०सी० पटना/आई० टी०  
मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-सं० सं०-5/निदे०(सिविल सेवा प्रोत्साहन) 27-01/2023-10/12 पटना, दिनांक-21-2-24  
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,  
बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


  
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-1

"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के इतर निर्माकित परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बिहार राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों निम्नरूपेण प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति :-

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम	प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि (रु० में)
1	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से इतर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा यथा- (a) भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service), (b) भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service), (c) भारतीय सांख्यिकी सेवा (Indian Statistical Service) (d) संयुक्त भू-वैज्ञानिक (Combined Geo-Scientist) इत्यादि	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	75,000/-
2	संयुक्त रक्षा सेवा (CDS), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) (Dy.S.P.), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central armed police Force), इत्यादि	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000/-
3	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), एवं नौसेना अकादमी (Naval Academy) की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000/-
4	बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा।	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	50,000/-
5	अन्य राज्यों में आयोजित सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग	50,000/-
6	भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा आयोजित ग्रेड-बी की प्रारंभिक परीक्षा/भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परीक्षाधीन पदाधिकारी (Bank Probationary Officer) की प्रारंभिक परीक्षा/भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer) की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)/भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)/बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection- IBPS)/भारतीय जीवन बीमा निगम	30,000/-
7	संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा।	केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली	30,000/-
8	विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय प्रोत्साहन राशि।	संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड	30,000/-

संकल्प सं० - 1012 दिनांक - 21.03.2024 का अनुलग्नक।

  
सरकार के सचिव